Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जनजातिय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति

हेमलता डांगी*

* शोधार्थी, पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – देश में जनजातिय महिलाओं की स्थिति आजादी के 75 साल पहले हो जाने के दौरान भी आज वर्तमान समय में बहुत दयनीय स्थिति है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन इस विशाल और अनगिनत विविधता वाले देश में परिवर्तन का अंश नगण्य है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारतीय जनजातिय महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार दिये हैं, अत्याचारों में दबी उनकी दयनीय जीवन स्थिति को रूपान्तरित करने और सामाजिक, आर्थिक और विधिक पहचान बनाने के लिए कल्याणकारी मान्यताएँ दी है फिर भी उनकी विकास की स्थिति चिंतनीय है।समय के साथ-साथ प्रत्येक समाज में परिवर्तन हुये लेकिन जनजातिय महिलाओं की स्थिति में दिन-प्रतिदिन गिरावट हो रही है। उनमें गरीबी, अंधविश्वास, अशिक्षा, यौन उत्पीड़न, ऋणी, पारिवारिक, सामाजिक, बुराई, वेश्यापन की स्थिति आज भी मौजुद है, इसका मुख्य बिंदु अंधविश्वास निर्धनता है। किसी भी समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका मुख्य होती है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता जनजातिय क्षेत्र में डाकन प्रथा, डायन प्रथा प्रचलित है। जनजातिय समाज में महिला और पुरूष असमानता पायी जाती है। जनजातिय महिलाएँ प्रकृति पूजक होती है। पुरूष खेत में हल चलाता है जिसमें महिलाएँ भाग लेती है। घर के सभी कार्यों में महिलायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा जब उस समाज के स्त्री एवं पुरूष आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक दृष्टि से समान रहे क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास एंव मनोवृत्तियों के निर्धारण में व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण स्थान है।

जनजातिय क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं जैसे- आंगनबाड़ी, ग्रामीण बैंक, सरकारी समिति, किसान सेवा केन्द्र, पंचायत की उपलब्धता ओर इनमें कार्यरत कर्मचारियों से अंत: ने जनजातिय पुरूषों को प्रभावित किया और इन संस्थाओं के प्रभाव से महिलायें भी अछूती नहीं है। ग्रामीण प्रभाव के विभिन्न पहलू हैं जिनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तालाब, रोड़ निर्माण, आशा कार्यकर्ता, महिला बाल विकास में जनजातिय महिलायें जो 8 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई की है काम में लगी हुई है। वर्तमान समय में शिक्षा से जागरूकता लगभग सभी भागों में पहुंच रही है। जनजातिय क्षेत्रों में बैंक के बारे में जानकारी होना, राशन कार्ड से लाभ प्राप्त करना आदि के प्रति जागरूकता है।

भारत में अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या 2011

क्र.	राज्य/केन्द्र शासित	व्यक्ति	पुरूष	महिला
1	जम्मू और कश्मीर	1493229	776257	717072
2	हिमाचल प्रदेश	392126	196118	196008
3	पंजाब	0	0	0
4	चण्डीगढ़	0	0	0
5	उत्तराखण्ड	291903	148669	143234
6	हरियाणा	0	0	0
7	दिल्ली	0	0	0
8	राजस्थान	9238534	4742943	4495591
9	उत्तर-प्रदेश	1134273	581083	553190
10	बिहार	1336573	682516	654057
11	सिक्किम	206360	105261	101099
12	अरूणाचल प्रदेश	951821	468390	483431
13	नागालैण्ड	1710973	866027	844946
14	मणिपुर	1167422	588279	579143
15	मिजोरम	1036115	516294	519821
16	त्रिपुरा	1166813	588327	578486
17	मेघालय	2555861	1269728	1286133
18	असम	3884371	1957005	1927366
19	पश्चिम बंगाल	5296953	2649974	2646979
20	झारखण्ड	8645042	4315407	4329635
21	उड़ीसा	9590756	4727732	4863024
22	छत्तीसगढ़	7822902	3873191	3949711
23	मध्यप्रदेश	15316784	7719404	7597380
24	गुजरात	8917174	4501389	4415785
25	दमन और दीव	15363	7771	7592
26	दादर नगर हवेली	178564	88844	89720
27	महाराष्ट्र	10510213	5315025	5195188
28	आन्ध्र प्रदेश	5918073	2969362	2948711
29	कर्नाटक	4248987	2134754	2114233
30	गोवा	149275	72948	76327
30	लक्ष्यद्वीप	61120	30515	30605
31	केरल	484839	238203	246636
32	तमिलनाडु	794697	401068	393629

33	पांडिचेरी	0	0	0
34	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	28530	17731	13799
	भारत कुल	104545716	52547215	51998501

स्त्रोत: भारत की जनगणना 2011

जनगणना 2021 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातिय की संख्या 104281034 है। यह कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों के कुल 93919162 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।जबकि शहरी क्षेत्रों में 10461872 लोग निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या का 11.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र का 2.8 प्रतिशत है। भारत में लगभग 550 जनजातियाँ हैं। 2001 और 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर 23.7 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रोंमें अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि 21.3 प्रतिशत थी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अधिक 49.7 प्रतिशत थी। आदिवासी व्यक्तियों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या 972 है।

जनजातिय महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति: जनजातिय महिलाओं की स्थिति वर्तमान में भी अत्यधिक दयनीय संविधान में महिलाओं के शोषण एवं अत्याचार, उत्पीड़न से संबंधित अनेक प्रावधानकिए गए हैंपरन्तु जनजातिय क्षेत्रों में आज भी विभिन्न प्रथाएँ, आडम्बर मौजूद हैंजैसे-

(1) अस्पृश्यता (2) वैश्यावृत्ति यौन रोगों का पनपना
(3) आर्थिक असमानताएँ (4) विधवा प्रवृत्ति
(5) बाल विवाह (6) विधवा विवाह
(7) रूढ़ीवादिता (8) स्वास्थ्य समस्या
(9) ऋण ग्रस्तता (10) निर्धनता
(11) बंधुआ मजदूरी की समस्या (12) विस्थापन
(13) अशिक्षा आदि प्रचलित है (14) पर्दाप्रथा एवं सत्तीप्रथा

(1) अस्पृश्यता या छुआछूत:- जनजाति समाज में रूढ़िवादी परम्परा आज भी जिंदा है। इस समाज में लोगों के द्वारा छुआछुत भी किया जाता है। जब किसी महिला को मासिक धर्म आता है तब परिवार के लोगों के द्वारा खान-पान में परहेज भी किया जाता है। कोई महिला को बच्चा पैदा होता है तब उसे अलग-अलग कोठरी में रखा जाता है खासकर बैगा जनजाति मेंकिया जाता है। साथ ही मासिक धर्म के दौरान मंदिर प्रवेश व घर के बाहर सोना, घर के जल व अन्य वस्तुओं को छूने नहीं दिया जाता है। प्रत्येक समाज में शिक्षा, तकनीक, आयुर्वेदिक, दवाईयाँ और परिवार नियोजन संबंधी जानकारी देकर प्रचार-प्रसार करके आदिवासी महिलाओं में उच्च स्थिति में लाया जा सकता है।

(2) आर्थिक असमानताएँ:- भारत के लोगों में आर्थिक असमानताएँ भिन्न-भिन्न पाई जाती है। गरीबी, निर्धनता, आर्थिक रूप से कमजोर धन सम्पत्ति से आदियहसब भारतीय जनजातिय लोगों में पाई जाती है। इन सभी स्थितियों को दुर करने के लिए जनजाति में कृषि कार्य, खनन कार्य में मजदूरी, अपने घर से बाहर काम करने के लिए प्रवास भी होते हैं। परिवार का भरण-पोषण आजीविका चलाने के लिए पुरूष एवं महिलाएँ मेहनती होती हैं। वे चाहती हैं कि उच्च गुणवत्ता का जीवन स्तर हो, उनके बच्चे सही ढंग से पढ़ाई-लिखाई कर सके। इस उद्देश्य से आदिवासी परिवार परिश्रमी, मेहनती होते हैं।

(3) विधवा प्रवृत्ति:- जब किसी महिला के पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तब वह विधवा हो जाती है। महिला को समाज से दुर रहने के लिए कहा जाता है। जनजाति में यह नियम लागू नहीं है। विधवा महिला दुसरा विवाह कर सके उसे अनुमति नहीं होती है।

(4) वैश्यावृत्ति यौन रोगों का पनपना:- जनजातिय महिलाओं की यह गंभीर समस्या है, लोग पर्याप्त मात्रा में जागरूक नहीं होते, शिक्षा की कमी के कारण उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति कुछ पैसे का लालच देकर उसे किसी भी बड़े शहर जाकर बेच देता है। महिलाओं व कम उम्र की बच्चियों के साथ अवैध संबंध बनवाने पर मजबुर किया जाता है। अवैध कारोबार करवाया जाता है जबरन शिक्षा की कमी के कारण यौन से संबंधित रोग एच.आई.वी., एड्स (HIV, AIDS) जैसी बिमारियों का उन्हें पता नहीं होता है। इस समस्या से निपटने के लिए महिलाओं को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है।

(5) बाल विवाह:- जनजातिय क्षेत्रों में बाल विवाह के मुख्य कारण यह माने जाते हैं कि लड़की की शादी माता-पिता द्वारा अपने उपर एक बोझ समझना, शिक्षा का अभाव, रूढ़िवादिता का होना, अंधविश्वास निम्न आर्थिक स्थिति। बाल-विवाह के दुष्परिणाम घातक शिशु व माता की मृत्युदर में वृद्धि होती है। शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता है। महिलाएँ अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पाती है।बाल-विवाह, कम उम्र में लड़की की शादी करवाना है। बाल-विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो 1 नवम्बर 2006 से लागू है। इस अधिनियम के अनुसार लड़के की उम्र 21 वर्षसे कम या लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो ऐसे विवाह को बाल-विवाह निषेध अधिनियम 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है।

(6) रूढ़िवादिता:- रूढ़िवादी मानसिकता के कारण स्त्री चाहे जिस भी वर्ग, समूह, जाति में जन्मी हो रूढ़िवादिता परम्परा के दबाव का शिकार हो रही है। झारखण्ड, बिहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों रूढ़ीवादी परम्परा आज भी विद्यमान है। बलात्कार, लैंगिक असमानता, कार्यस्थल पर भेदभाव, यौन शोषण, अशिक्षा आदि का भेदभाव किया जाता है। जनजातिय महिलाएँ रूढ़िवादी परम्परा का शिकार अधिक होती हैं, जागरूकता व शिक्षा की कमी के कारण।

(7) स्वास्थ्य समस्या:- ग्रामीण दुरस्थ क्षेत्र में जनजातिय लोग नशे, यौन, कैंसर तथा मलेरिया, क्षय रोग, पीलिया, कुपोषण, उच्च शिशु मृत्यु दर, प्रजनन, अपर्याप्त भोजन आदि के शिकार हो जाते हैं। चिकित्सा सेवाएँ पर्याप्त उपलब्ध नहीं होने के कारण कई महिलाओं, बच्चों को इनका शिकार होना पड़ता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र तक नहीं खुल पाये हैं। गरीब व निर्धन लोगों के संबंध में यह स्थिति काफी चिन्ताजनक बनी हुई है।

(8) ऋणग्रस्तता:- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन किसान मजदुर द्वारा अपनी आवश्यकताओं के कारण कर्ज लिया जाता है, आदिवासी व्यक्ति अपने कर्ज को चुकाने के लिए महिलाओं एवं बच्चों को भेजता है। जिसमें महिलाओं एवं बच्चों को शिकार होना पड़ता है।

(9) निर्धनता:-अधिकतर जनजातिय क्षेत्रों में लोगों के पास जमीन की कमी होती है, जिसमें वह अपनी आजीविका का साधन जुटा पाने में असमर्थ होने को मजबूर हो जाते हैं।

(10) बंधुआ मजदुरी की समस्या:- आदिवासी महिलाओं में बंधुआ मजदुरी एक गंभीर समस्या है, जिसमें महिलाएं कर्ज या ऋण को चुकाने के लिए जबरदस्ती काम करने के लिए बाध्य होती है, भूमिहीनता, गरीबी और कर्ज के जाल केकारण यह होता है। जो महिलाओं को इस स्थिति में धकेल देता है।

(11) विस्थापन:-जनजाति क्षेत्रों में महिलाओं को स्थानांतरित खेती बसे हुए कृषि और गैर-लकड़ी उत्पादों तक पहुंच के आधारपर निर्वाह करती है। विस्थापन और भूमि के नुकसान के साथ, महिलाएं आर्थिक स्वायत्तता खो देती है। पुरूष वर्चस्व के अधीन हो जाती है।

(12) अशिक्षा:-जनजातिय महिलाओं में अशिक्षा के कई कारण होते हैं। गरीबी, दुरस्थ स्थान, सामाजिक रूढ़ीवादीयाँ हैं। भाषा की बाधा, पारम्परिक रीति-रिवाज आदि प्रमुख कारण है।

जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर

वर्ष	अनुसूचित जनजाति			समस्त जनसंख्या		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84
2021	68.50	49.40	59.00	80.90	64.66	73.00

स्त्रोत: महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय

(13) पर्दाप्रथा एवं सतीप्रथा:-पर्दाप्रथा एक इस्लामी शब्द है जो अरबी भाषा में फारसी से आया है जिसका अर्थ होता है 'ढकना', या 'घूंघट'। पुरूषों की नजरों से दुर रखने के लिए यहप्रथा अपनायी जाती है। 20वीं सदी के उत्तारार्द्ध में इस प्रथा के विरोध के फलस्वरूप इसमें कमी आयी है, यह प्रथा राजस्थान, हरियाणा आज भी प्रचलित है। जनजातियों में पर्दाप्रथा ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद रहती है।

निष्कर्ष: भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका के समस्त पक्षों एवं उनको प्रदान संवैधानिक अधिकारों का अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है क्योंकि देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है। महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिए सरकार एवं कानूनी प्रयास तभी कारगर होंगे जब स्त्रियों को अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए स्वंय को जागरूक होकर आगे आना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उदयसिंह राजपुत: आदिवासी विकास गैर सरकारी संगठन, रावत पब्लिकेशन्स, पृ.1
2. प्रो.गुप्ता शर्मा: सामाजिक मानवशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, पृ.190, 192
3. "Wikipidia:- India - Velling and the Seclusion of Women" 2021-08-02
4. मिढ़ ताला रानी (2009) Problems of Trible Education in India, नई दिल्ली।
5. डॉ. के.एस.नेत्तम और विनोद कुमार वर्मा 'आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका'।

****